प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं</u>
<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 1266 / 1995</u>

सुरेश कामले
बनाम
मध्यप्रदेश राज्य
(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत
हस्ताक्षर/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय श्री राजीव गुप्ता, न्यायाधीश</u>

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षर/-
मुख्य न्यायाधीश

दिनांक 10/04/2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करे

हस्ताक्षर/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्याय पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1266/1995

अपीलकर्ता : सुरेश कामले, पिता—पांडरीनाथ कामले,
आयु—29 वर्ष, व्यवसाय—शासकीय सेवक,
निवास—मदोदा रेलवे स्टेशन के पास, झोपड़ा,
थाना नवाई, जिला दुर्ग।
वर्तमान पता :
ज्योति वीडियो के पीछे, चांदनी भाठा,
राजहरा, थाना राजहरा, जिला दुर्ग,
मध्यप्रदेश (वर्तमान में छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यार्थी : मध्यप्रदेश राज्य
(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थिति : अपीलकर्ता की ओर से : श्री राजेश जैन, अधिवक्ता।
शासन की ओर से : श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 10.04.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय **श्री सुनील कुमार सिन्हा**, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया :—

(1) यह अपील, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 474/93 में दिनांक 28 अगस्त 1995 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय

द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

(2) अभियोजन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :—

मृतका सुधा, अपीलकर्ता की पत्नी थी। वह नर्स के रूप में कार्यरत थी। वर्ष 1990 से वह अब्दुल हमीद (अ.सा.-4) के किराए के मकान में निवास कर रही थी। दिनांक 25.04.1993 को मृतका का विवाह अपीलकर्ता से हुआ। विवाह के पश्चात् भी दंपत्ति अब्दुल हमीद (अ.सा.-4) के उसी किराए के मकान में निवास करते रहे। दिनांक 30.06.1993 को मृतका अपने मायके से वापस लौटी थी। अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 30.06.1993 को लगभग रात्रि 10:30 बजे अपीलकर्ता ने मृतका पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। शोरगुल सुनकर कुंवर सिंह तथा अब्दुल हमीद (अ.सा.-4) वहाँ पहुँचे और उन्होंने मृतका को जली हुई अवस्था में देखा। एम्बुलेंस बुलायी गई और मृतका को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) द्वारा मृतका की जाँच की गई। अस्पताल में ही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट इंदिरा सिंह चौहान (अ.सा.-9) द्वारा मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्र.पी/5) दर्ज किया गया, जिसमें मृतका ने अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप लगाए। मृत्युकालिक कथन दिनांक 01.07.1993 को दर्ज किया गया। मृतका की मृत्यु दिनांक 01.07.1993 को प्रातः 2:15 बजे हो गई। मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्र.पी/4)। पंचनामा (प्र.पी/9) बनाया गया तथा मर्ग (प्र.पी/10) पंजीबद्ध कर मृतका के शव को परीक्षण हेतु भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. जी.आर. नामदेव (अ.सा.-7) द्वारा किया गया। मृतका को जलने के कारण 100 प्रतिशत आई थीं। उसके चेहरे, दोनों ऊपरी एवं निचले अंगों, गर्दन, धड़ तथा पीठ पर जलने की चोटें पाई गईं। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण व्यापक रूप से जलने के कारण उत्पन्न सदमा एवं दम घुटना था। शवपरीक्षण प्रतिवेदन(प्र.पी/13) है। अपीलकर्ता को भी दोनों हाथों में जलने की चोटें आई थीं, जिसके कारण उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु आवेदन पत्र (प्र.पी/2-ए) के माध्यम से भेजा गया। अपीलकर्ता की भी जाँच डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) द्वारा की गई, जिन्होंने सर्वप्रथम मृतका की जाँच कर उसे अस्पताल में भर्ती किया था। अपीलकर्ता की चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी/2 है।

(3) माननीय सत्र न्यायाधीश ने मृतका के मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि संदेह से परे यह सिद्ध हो गया है कि अपीलकर्ता ने मृतका को आग लगाई, जिसके परिणामस्वरूप उसे उपर्युक्त जलने की चोटें आईं और अंततः उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

(4) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश जैन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय नहीं है; उस पर मृतका के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान अंकित नहीं है; स्वयं अपीलकर्ता को भी जलने की चोटें आई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थीं; मृतका को 100 प्रतिशत जलने की चोटें प्राप्त हुई थीं, अतः संभव है कि वह मृत्युकालिक कथन देने की मानसिक रूप से उपयुक्त अवस्था में न रही हो; मृतका ने अस्पताल ले जाते समय अब्दुल हमीद (अ.सा.-4) के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया था कि उसे जलने की चोटें स्वयं लगी थीं; यही कथन उसने डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) के समक्ष भी किया था, जिन्होंने सर्वप्रथम उसकी जाँच कर उसे अस्पताल में भर्ती किया; तथा मृत्युकालिक कथन में अंकित समय में भी विसंगतियाँ हैं, जो स्वयं यह दर्शाती हैं कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय नहीं है।

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र प्रकरण के संपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया।

(7) हमारे समक्ष विचार हेतु एकमात्र प्रश्न मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) मृतका को लगभग रात्रि 11:50 बजे अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी सर्वप्रथम जाँच डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) द्वारा की गई, जिन्होंने परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी/1) तैयार किया। प्र.पी/1 के अनुसार, मृतका को 100 प्रतिशत जलने की चोटें थीं, तथापि उसकी नाड़ी 120 प्रति मिनट थी तथा रक्तचाप 90 मि.मी. सिस्टोलिक था और वह होश में थी तथा सचेत अवस्था में थी। रोगी के इतिहास में यह उल्लेख किया गया है कि यह एक दुर्घटनावश जलने की घटना थी। मृतका को उसके पति (अपीलकर्ता) द्वारा अस्पताल लाया गया था। अपीलकर्ता की भी चिकित्सीय जाँच डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) द्वारा की गई, जिसकी चिकित्सीय प्रतिवेदन (प्र.पी/2) है। अपीलकर्ता के दोनों हाथों में भी जलने की चोटें पाई गईं। डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) द्वारा तैयार की गई प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता को उक्त चोटें अपनी पत्नी को बचाने के दौरान लगी थीं। डॉ. अग्रवाल ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-6 में स्वीकार किया कि प्र.पी/1 में की गई समस्त प्रविष्टियाँ उनके ही हस्तलेख में थीं तथा ये प्रविष्टियाँ रोगी (मृतका) से पूछताछ के पश्चात् की गई थीं। यदि मृतका को अपीलकर्ता द्वारा जलाया गया होता, तो वह डॉक्टर के समक्ष यह नहीं बताती कि उसे लगभग रात्रि 11:30 बजे **"दुर्घटनावश जलने"** की चोटें आई थीं। प्रद. पी/1 में **"**रात्रि 11:30 बजे दुर्घटनावश जलना**"** अंकित भाग '**B** से **B**' के रूप में चिह्नित किया गया है तथा डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि प्र.पी/1 में 'ब से ब' का यह भाग रोगी से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनके द्वारा ही लिखा गया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता

के हाथों में भी जलने की चोटें थीं तथा उसकी एम.एल.सी. प्रतिवेदन (प्र.पी/2) में, यद्यपि उसके स्वयं के कथन के आधार पर, यह उल्लेख है कि उसे उक्त चोटें अपनी पत्नी को बचाने के दौरान आई थीं। हमें डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जिन्होंने सर्वप्रथम मृतका की जाँच की थी तथा उसकी जानकारी के आधार पर प्र.पी/1 में उक्त कथन अंकित किया था।

(9)अब हम दिनांक 01.07.1993 को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन का परीक्षण करेंगे।

(10) मृत्युकालिक कथन (प्र.पी/5) की सामग्री से यह प्रकट होता है कि इसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट इंदिरा सिंह चौहान (अ.सा.-9) द्वारा दिनांक 01.07.1993 को लगभग दोपहर 12:25 बजे अभिलिखित किया गया। मृत्युकालिक कथन में मानसिक रूप से उपयुक्त अवस्था का प्रमाण-पत्र देने वाले डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) द्वारा भी दिनांक 01.07.1993 को 12:35 बजे का अनुमोदन अंकित किया गया है, जबकि डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्र.पी/4) से यह स्पष्ट होता है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 01.07.1993 को प्रातः 2:15 बजे हो चुकी थी। इस संबंध में एक सूचना (प्र.पी/3) भी डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित की गई थी, जिसमें मृतका के अस्पताल में भर्ती होने की तिथि एवं समय तथा मृत्यु का समय उल्लेखित है। उक्त सूचना के अनुसार मृतका को दिनांक 30.06.1993 को रात्रि 11:50 बजे अस्पताल में भर्ती किया गया था तथा उसकी मृत्यु दिनांक 01.07.1993 को प्रातः 2:15 बजे हो गई थी। श्री जैन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब मृतका की मृत्यु दिनांक 01.07.1993 को प्रातः 2:15 बजे हो चुकी थी, तब दिनांक 01.07.1993 को दोपहर 12:25 बजे मृत्युकालिक कथन कैसे अभिलिखित किया जा सकता है। इस विसंगति को डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) के साक्ष्य में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने यह कथन दिया कि मृतका को रात्रि लगभग 11:50 बजे अस्पताल लाया गया था तथा उसकी मृत्यु दिनांक 01.07.1993 की सुबह लगभग 2:15 बजे हुई थी। तथापि, तथ्य यह बना रहता है कि मृत्युकालिक कथन की सामग्री के अनुसार यह दिनांक 01.07.1993 को दोपहर 12:25 बजे अभिलिखित किया गया बताया गया है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपर्युक्त समय-संबंधी विसंगति का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा उन्होंने यह कथन दिया है कि मृत्युकालिक कथन दिनांक 01.07.1993 की रात्रि में अभिलिखित किया गया था। इसके अतिरिक्त, मृत्युकालिक कथन पर मृतका के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान अंकित नहीं है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से विशेष रूप से यह प्रश्न किया गया कि उन्होंने मृत्युकालिक कथन पर मृतका के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान क्यों नहीं लिया। इस पर उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 10 में उत्तर दिया कि उनके द्वारा अब तक अभिलिखित किसी भी मृत्युकालिक कथन पर उन्होंने कभी हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान नहीं लिया। सामान्यतः यदि कथनकर्ता मृत्युकालिक कथन पर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हस्ताक्षर करने अथवा अंगूठे का निशान लगाने की स्थिति में हो, तो कथन को अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय बनाने हेतु ऐसा किया जाता है, किंतु वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। यह ऐसा प्रकरण भी नहीं है कि मृतका जलने की चोटों के कारण हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाने की स्थिति में न रही हो।

(11) अब्दुल हमीद (अ.सा.-4) वह मकान-मालिक था, जिसके किराए के मकान में मृतका वर्ष 1990 से निवास कर रही थी। उसने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना वाली रात्रि लगभग 10:30 बजे वह अपने घर में सो रहा था। उसी समय अपीलकर्ता उसके पास आया और बताया कि मृतका ने केरोसिन डालकर स्वयं को आग लगा ली है। वह तुरंत उस हिस्से में पहुँचा, जहाँ अपीलकर्ता और मृतका रहते थे। उस समय तक मृतका जल चुकी थीं तथा वहाँ अनेक लोग एकत्र हो गए थे। वह एम्बुलेंस बुलाने गया। एम्बुलेंस का चालक, जो पहले से मृतका को जानता था, ने उससे पूछा कि उसे जलने की चोटें कैसे आईं। इस पर मृतका ने उत्तर दिया कि उसने स्वयं को आग लगा ली है। वह मृतका के साथ अस्पताल भी गया। अस्पताल में चिकित्सक ने भी मृतका से पूछा कि उसे जलने की चोटें कैसे आईं, जिस पर मृतका ने चिकित्सक को भी यही उत्तर दिया कि उसने स्वयं को आग लगाई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अस्पताल पहुँचने से पूर्व मृतका ने अपने मकान-मालिक अब्दुल हमीद (अ.सा.-4) के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया था कि उसने स्वयं को आग लगा ली थीं और उसने इन चोटों के लिए अपीलकर्ता की संलिप्तता के संबंध में कोई बात नहीं कही। यहाँ तक कि चिकित्सक के समक्ष भी उसने यही कथन दिया, जिसे चिकित्सक ने प्र.पी/1 में 'ब से ब' अंकित भाग में दर्ज किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) यदि उपर्युक्त समस्त तथ्यों को मृत्युकालिक कथन में अंकित समय के संबंध में विद्यमान विसंगति के साथ तथा विशेष रूप से प्रदर्श पी/1 में किए गए उस उल्लेख के संदर्भ में देखा जाए, जिसमें डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-3) ने मृतका के कथन के आधार पर यह अंकित किया है कि यह एक दुर्घटनावश जलने की घटना थी, तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन (प्र.पी/5) संदेहास्पद हो जाता है। यह हमें पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। हमारा यह मत है कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करने में त्रुटि की है तथा केवल मृत्युक कथन के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि को क़ायम नहीं रखा जा सकता।

(13) अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडदोश को आपस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता को दिनांक 03.07.1993 को गिरफ्तार किया गया था। वह पूरे समय न्यायिक अभिरक्षा में रहा, तथापि उसे दिनांक 03.06.2002 को जमानत पर रिहा

किया गया था। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसकी बाध्यपत्र निरस्त की जाती हैं तथा प्रतिभूति को उन्मोपित किया जाता है।

हस्ताक्षर/-
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षर/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur